न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ़ जिला - श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी– डॉ0 हरीतिमा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या: 555/13

1. सावित्री पत्नी स्व0 दमनदेव सिंह पुत्री स्व0 बलवंत सिंह जाति कम्बोज सिख निवासी मकान न. 1038 सैक्टर 27–बी, चण्डीगढ पंजाब।
2. संतोष पत्नी श्री हरमीत सिंह पुत्री स्व0 बलवंत सिंह निवासी 90–91, रजिडेंसी हाईट 1201 बी ब्लॉक, मोहाली पंजाब।
3. सतविन्द्र कौर पत्नी श्री जितेन्द्र सिंह पुत्री स्व0 बलवंत सिंह जाति कम्बोज सिख निवासी सैक्टर कोटी 1090–15 बी, चण्डीगढ पंजाब।

बनाम

1. भूपेन्द्र सिंह पुत्र स्व0 श्री बलवंत सिंह जाति कम्बोज सिख निवासी मकान न. 511 ग्रीन पार्क, वार्ड न. 6 जीर्कपुर, गांव लोहगढ तहसील डेरा बस्सी, जिला मोहाली पंजाब
2. कुलदीप सिंह पुत्र स्व0 श्री बलवंत सिंह जाति कम्बोज सिख निवासी ग्रक 1–ए छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर
3. स्टैट ऑफ राजस्थान द्वारा तहसीलदार श्रीगंगानगर

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितः–

1. अधिवक्ता अपीलांट श्री सुनील कुमार चुघ
2. अधिवक्ता रेस्पोडेंट श्री राकेश सारस्वत

निर्णय दिनांक: 06.3.2020

1. प्रार्थी यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के अंतर्गत तहसीलदार (भू.अ.) श्रीगंगानगर के निर्णय दिनांक 10.05.2013, जिसके द्वारा रेस्पोडेंट संख्या 1 का आवेदन पत्र वसीयतनामा दिनांक 24.02.2006 के अनुसार नामान्तरणकरण दर्ज करने के आदेश पारित किया गया को निरस्त करने हेतु इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी।
2. अपील मीमो संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट सं. 1 ने दिनांक 14.12.2012 को एक प्रार्थना पत्र तहसीलदार भू.अ., श्रीगंगानगर के समक्ष प्रस्तुत किया कि प्रार्थी के पिता के नाम से ग्रक 1–ए छोटी तहसील श्रीगंगानगर में कृषि भूमि है जिसके संबंध में एक वसीयत उनके पिता द्वारा उपपंजीयक कार्यालय श्रीगंगानगर में पंजीबद्ध करवाई हुई है, अतः उक्त वसीयत के मुताबिक नामान्तरकरण दर्ज किया जावे। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने स्व. श्री बलवंत सिंह के विधिक उत्तराधिकारी गण को बिना नोटिस दिये, बिना पटवारी हल्का से जांच रिपोर्ट मंगवाकर तथाकथित वसीयत के गवाहों के बयान स्वतः दर्ज करके शामिल मिसल किये एवं अपीलाट के मृतक पिता स्व0 श्री बलवंत सिंह द्वारा अपने जीवनकाल में ही वसीयत दिनांक 24.02.2006 को निरस्त/कैंसिल कर दिया था इसके बावजूद भी उक्त वसीयत के अनुसार नामान्तरणकरण दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का उक्त आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।
3. अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकॉर्ड मंगवाकर शामिल पत्रावली किया गया। अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री सुनील कुमार चुघ

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़

Scanned by CamScanner

एवं अधिवक्ता रेस्पोडेंट श्री राकेश सारस्वत उपस्थित आये। अधिवक्ता उभय पक्ष द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की गई ।

4. अधिवक्ता अपीलांट्स ने लिखित बहस में निवेदन किया कि रेस्पोडेंट संख्या 01 ने दिनांक 14.12.2012 को प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार श्रीगंगानगर के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी के पिता के नाम से चक 1–ए छोटी, तहसील श्रीगंगानगर में कृषि भूमि है, जिसके संबंध में एक वसीयत उनके पिता द्वारा निष्पादित की गई है तथा उसके पिता द्वारा उक्त वसीयतनामा उप पंजीयक कार्यालय श्रीगंगानगर के कार्यालय में पंजीबद्ध करवाया हुआ है अतः वसीयत के आधार पर नामांतरण दर्ज करे। अधीनस्थ न्यायालय ने बलवंत सिंह के विधिक उत्तराधिकारीगण को नोटिस दिये बिना विधि विरूद्ध तरीके से पटवारी हल्का से जांच रिपोर्ट मंगवाकर तथाकथित वसीयत के गवाहों के ब्यान स्वतः दर्ज करके शामिल गिराल कर लिए, जबकि रेस्पोडेंट संख्या कुलदीप सिंह ने अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 28.12.2012 , 31.12.2012 तथा 03.01.2013 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर भूमि के संबंध में श्रीमान जिला न्यायाधीश श्रीगंगानगर के समक्ष कार्यवाही विचाराधीन होने का कथन किया तथा प्रार्थना पत्र के साथ समाचार पत्र की कतरन तथा उक्त वसीयत की प्रति जिसके प्रत्यके पृष्ठ पर केन्सिल शब्द लिखा हुआ था तथा तथाकथित वसीयत के फर्जी होनें संबंधी एफआईआर की प्रति भी प्रस्तुत की थी। इसके अतिरिक्त रेस्पोडेंट संख्या 02 ने अधीनस्थ न्यायालय में यह भी कथन किया कि रेस्पोडेंट की तीन बहने अर्थात अपीलांट्स भी है। जिन्हे नोटिस दिया जाकर सुना जाना आवश्यक है। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा उपरोक्त तथ्यों की अनदेखी करते हुए अपीलांट के मृतक पिता स्व० बलवंत सिंह द्वारा कई वसीयते की गई थी, जिनको निरस्त/केनसिल किया जा चुका था। परन्तु उक्त वसीयत के आधार पर नामान्तरण दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये। राजस्थान लैण्ड रेवन्यू की धारा 135 व 136 में दिये गये प्रावधानो तथा इसके संबंध में राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये नोटिफिकेशन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय को अपीलकृत आदेश पारित करने की अधिकारिता प्राप्त नहीं थी। इस प्रकार के प्रकरण में संबंधित ग्राम पंचायत ही आदेश पारित कर नामांतर्ण दर्ज करने का आदेश पारित कर सकती थी। ऐसी परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय ने अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर आदेश पारित किया है। जो विधि विपरीत है, अतः निरस्ती योग्य है।

5. अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने अपनी लिखित मे निवेदन किया कि यह कि अपीलान्ट द्वारा अपील दिनांक 08.10.2013 को प्रस्तुत की गई है जो मियाद बाहर प्रस्तुत की गई है। श्रीमान तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 10.05.2013 मे स्पष्ट उल्लेख किया गया हैं कि अपीलान्ट का भाई कुलदीपसिंह द्वारा दिनांक 28.12.2012, 31.12.2012, 03.01.2013 को पत्रावली में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी भूपेन्द्रसिंह की चार बहने हैं जिन्हे सुनकर प्रार्थना पत्र निर्णित किया जावें। न्यायालय तहसीलदार द्वारा नोटिस जारी किया गया कि बहनो के ब्यान करवाये जावें तथा तारीख दिनांक 10.05.2013 को नियत की गई। बाद सूचना नोटिस हाजिर नही आने पर न्यायालय श्री तहसीलदार द्वारा उक्त आदेश साक्ष्य लेकर दिनांक 10.05.2013 को पारित जारी किया गया हैं जिसकी जानकारी अपीलान्ट व उनके भाई श्री कुलदीपसिंह को थी। अतः जानकारी होने पर भी अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की गई जो कि खारीज किये जाने योग्य है। अतः अपीलान्ट का यह कथन की अपीलाधीन आदेश की जानकारी नही थी, मिथ्या दर्ज होने एवं दफा 5 एलए का फायदा लेने हेतु दर्ज करवाया गया है एवं अपीलान्ट

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ

Scanned by CamScanner

द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के साथ जानकारी के स्त्रोत का कोई शपथ पत्र अथवा दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किया है। अतः अपीलान्ट की अपील सन्तोषजनक कारणो के अभाव में मियाद बाहर होने के कारण खारीज योग्य है। उक्त तथ्यो की पुष्टि मे DNJ 2011(1) PAGE 422, DNJ 2011 (CC) PAGE 93, 2016 (1) CJ CIV. PAGE 109 प्रस्तुत है। रेस्पो0 के पिता स्व0 श्री बलवन्तसिंह पुत्र श्री ज्वालासिह के नाम से चक 1 ए छोटी तहसील श्रीगंगानगर के मु0नं0 59/69 कि0न0 1 ता 18 मे 17-00 बीघा 4 बिस्वा, मु0नं0 52/58 क0न0 14 ता 17 कुल 4-00 बीघा व इसके अलावा लोहगढ सब तहसील डेराबसी जिला पटियाला मे 8 एकड़ 1 कैनाल 10 गरला तथा चल सम्पति यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, ग्रामीण बैंक श्रीगंगानगर व पंजाब नेशनल बैंक गंगानगर व एनएसएस व पीपीएफ में जमा 70,00,000/-रूपया जमा थे। स्व0 श्री बलवन्त सिंह ने अपने जीवनकाल मे उक्त समस्त चल व अचल सम्पति की वसीयत उपपंजीयक कार्यलय में उपस्थित होकर अपीलान्ट व रेस्पो0 के हक में तहरीर करवाकर तस्दीक करवाई थी। उक्त तमाम सम्पति स्व0 श्री बलवन्तसिंह की स्वअर्जित सम्पति थी। जिसका वह अपने जीवनकाल मे वसीयत करने का अधिकारी व कानूनन सक्षम था। उक्त वसीयत आज भी विद्यमान है किसी भी न्यायालय द्वारा निरस्त नही की गई है। अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील खारीज योग्य है। स्व0 श्री बलवन्तसिंह का देहान्त हो जाने पर रेस्पो0 नं0 1 द्वारा न्यायालय तहसीलदार श्रीगंगानगर के समक्ष वसीयत अनुसार चक 1 ए छोटी तहसील श्रीगंगानगर के मु0नं0 59/69 कि0न0 1 ता 18 मे 17-00 बीघा 4 बिस्वा, मु0नं0 52/58 क0न0 14 ता 17 कुल 4-00 बीघा का इन्तकाल दर्ज करने हेतु आवेदन किया गया । जिस पर कार्यवाही नही होने पर रेस्पो0 द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में रिट दायर की गई। जिसे उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 22.02.2013 को स्वीकार कर श्रीमान जिला कलेक्टर व श्रीमान तहसीलदार श्रीगंगानगर को विधि अनुसार इन्तकाल दर्ज करने के आदेश दिये गये। उक्त आदेश की पालनार्थ श्रीमान तहसीलदार द्वारा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 10.05.2013 पारित किया गया है। अतः अपीलान्ट की अपील खारीज योग्य है। अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.05.2013 रेस्पो नं0 2 व अपीलान्ट को सुनने का अवसर देते हुये पारित किया गया है। इन्तकाल की कार्यवाही मे अपीलान्ट का भाई कुलदीपसिंह उपस्थित था, उसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में बहनो को सुनने एवं मामला डीजे कोर्ट में विचाराधीन होने का निवेदन किया गया है। श्रीमान तहसीलदार द्वारा प्रार्थना पत्र को शामिल कर बहनो को ब्यान दर्ज करवाने व डीजे कोर्ट में विचाराधीन प्रकरण के दस्तावेज पेश करने हेतु दिनांक 10.05.2013 को हाजिर आने हेतु रेस्पो0 नं0 2 व उसकी बहनो अपीलान्ट को नोटिस जारी किये गये। परन्तु बाद सूचना अपीलान्ट व कुलदीपसिंह हाजिर नही हुये। श्रीमान तहसीलदार द्वारा कुलदीपसिंह के लिखित कथनो को शामिल करते हुये अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.05.2013 जारी किया गया है। जो कि भूराजस्व अधिनियम की धारा 135 (2) के अन्तर्गत आता है जिसकी अपील धारा 75 के खण्ड एफ के तहत सम्भागीय आयुक्त को होगी। अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील क्षेत्राधिकार विहीन होने के कारण खारीज योग्य है। पुष्टि मे RRD 2002 PAGE 671, RRT 2003 (1) PAGE 359 एवं एडीएम प्रशासन का निर्णय दिनांक 17.02.2006 जो प्र0सं0 08/2006 में पारित किया गया है, प्रस्तुत है। श्रीमान तहसीलदार द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व वसीयत के गवाहो के ब्यान लिये गये, पटवारी हल्का से मौका की रिपोर्ट ली गई । गवाहो द्वारा अपने ब्यान मे उक्त वसीयत श्री बलवन्तसिंह द्वारा किया जाना

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़

Scanned by CamScanner

स्वीकार किया। पटवारी हल्का द्वारा भी अपनी रिपोर्ट में उक्त वसीयत में अंकित सम्पति श्री बलवन्तसिंह की स्वअर्जित सम्पति होना दर्शाया है। श्री कुलदीपसिंह द्वारा भी किसी न्यायालय में कोई प्रकरण विचाराधीन होने सम्बन्धि कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किये जाने पर उक्त अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अतः अपीलान्ट की अपील खारीज योग्य है। अपीलान्ट द्वारा अपनी अपील में वसीयत दिनांक 24.02.2006 को कैन्सिल होना दर्शित किया हैं। जो कि मिथ्या व अवैधानिक तथा न्यायालय को गुमराह करने की गर्ज से दर्ज करवाया गया है। श्री बलवन्तसिंह द्वारा दिनांक 14.07.1998 की वसीयत निरस्त की गई है। जो शामिल पत्रावली है। स्व0 श्री बलवन्तसिंह द्वारा वसीयत दिनांक 24.02.2006 को कभी भी निरस्त नही किया है, एवं नाही किसी सिविल न्यायालय द्वारा निरस्त की गई है। जो आज भी प्रभाव रखती है। अतः श्रीमान तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा पारित आदेश कानून के प्रावधानो के अनुरूप होने के कारण स्वीकार किये जाने योग्य है एवं अपील अपीलान्ट खारीज योग्य है, पुष्टि में RRD 2006-2007 (DB) PAGE 59 प्रस्तुत है। इसके अलावा अपीलान्ट द्वारा श्रीमान तहसीलदार के क्षेत्राधिकार पर आपत्ति दर्शित की हैं जबकि श्रीमान तहसीलदार वसीयत की पत्रावली सुनने में कानूनन सक्षम है। पुष्टि में RRT 2017(3) PAGE 238 प्रस्तुत है। हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के तहत हिन्दू द्वारा वसीयत तस्दीक करने पर हिन्दू उतराधिकार अधिनियम की धारा 8 लागू नही होती हैं। अतः अपीलान्ट अपील में वर्णित रकबा में कोई हिस्सा श्री बलवन्तसिहं के देहान्त पश्चात् प्राप्त करने के अधिकारी नही है। अतः अपील खारीज योग्य है। पुष्टि में RRD 2018 PAGE 101 प्रस्तुत हैं। वसीयत दिनांक 24.02.2006 के आधार पर पंजाब की भूमि का राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हो चुका है। जिसके खिलाफ अपीलान्ट ने किसी भी न्यायालय में कोई चाराजोई नही की है। वसीयत के आधार पर अपीलान्ट अपना हिस्सा प्राप्त कर चुकी हैं। मात्र रेस्पों0 नं0 1 को हिस्सा नही देने की गर्ज से उक्त अपील मिथ्या कथनो के आधार पर पेश की गई है। जो खारीज किये जाने योग्य है। वसीयत दिनांक 24.02.2006 के आधार पर पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.05.2013 के आधार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद रेस्पों0 नं0 1 के हक में हो चुका है। अतः अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.05.2013 के खिलाफ प्रस्तुत अपील स्वतः ही निष्प्रभावी हो चुकी हैं। अतः अपील अपीलान्ट खारीज योग्य हैं।

हमने उभय पक्ष की बहस पर चिंतन मनन किया। पत्रावली मे प्रस्तुत दस्तावेजों व न्यायिक दृष्टांतो का गहनता से अवलोकन किया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन करने से पाया कि अपीलाधीन रकबा स्व0 बलवंत सिंह की स्वअर्जित सम्पति थी जिसकी वसीयत करने हेतु वह विधिक अधिकारी था। वसीयत दिनांक 24.02.2006 एक रजिस्टर्ड दस्तावेज है। जो कि आज भी प्रभावी है एवं किसी भी सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त नही की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.5.2013 के आधार पर राजस्व रिकार्ड मे अमलदरामद भी हो चुका है। अतः अपील अपीलांट निराधार निरर्थक एवं तथ्यहीन होने के कारण निरस्त की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 10.05.2013 यथावत रखा जाता है।

निर्णय की प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(डॉ० हरीतिमा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़

Scanned by CamScanner